

बिहार सरकार,  
कृषि विभाग।

पत्र संख्या-4/कृ०शि०को०-45/2018-  
प्रेषक,

3560

/कृ०, पटना, दिनांक 01/10 2018

रवीन्द्र नाथ राय,  
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।  
द्वारा (+) वित्त विभाग, बिहार, पटना।

1) अनौपचारिक रूप  
से परामर्शित।

विषय : बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वित्तीय वर्ष 2018-19 में कतरनी चावल के विकास के लिए 11.45 लाख रू० एवं डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग प्रयोगशाला की स्थापना हेतु 39.50 लाख रू० कुल 50.95 लाख (पचास लाख पंचानवे हजार) रू० सहायक अनुदान की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वित्तीय वर्ष 2018-19 में कतरनी चावल के विकास के लिए 11.45 लाख रू० एवं डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग प्रयोगशाला की स्थापना हेतु 39.50 लाख रू० कुल 50.95 लाख (पचास लाख पंचानवे हजार) रू० सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. भागलपुर कतरनी चावल की विशिष्टता को देखते हुये भारत सरकार द्वारा भागलपुर कतरनी चावल का जी.आई. पंजीकरण किया गया है। जी.आई. पंजीकरण कार्य बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के दिशा-निर्देश में पूरा किया गया है। फसल भिन्नताओं को जीन स्तर पर पहचान, संकर प्रभेद के मानकीकरण, फसल प्रभेद की अनुवांशिक शुद्धता, उत्परिवर्तन, एलील माइनिंग के उद्देश्य से डी.एन.ए. फ्रिंगर प्रिंटिंग प्रयोगशाला की स्थापना की स्वीकृति की आवश्यकता है। जी.आई. पंजीकृत कतरनी चावल के विकास तथा डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग प्रयोगशाला की स्थापना की स्वीकृति निदेशक अनुसंधान, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के पत्र संख्या 612 दिनांक 30.07.2018 के क्रम में प्रदान की जाती है। परियोजना का संक्षिप्त विवरण अनुसूची-1 के रूप में संलग्न है।

3. स्वीकृत राशि का व्यय विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार में विहित वित्तीय प्रावधानों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा। आवश्यकतानुसार मद्दवार कर्णांकित राशि में स्वीकृत राशि की सीमा में संशोधन किया जा सकेगा।

4. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्न के अधीन विकलनीय होगा,

(राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-01- फसल कृषि-कर्म, लघु शीर्ष-277-शिक्षा, मांग संख्या-01, उपशीर्ष-0108- बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड-01-2415012770108, विषय शीर्ष-0108.31.06 सहायक अनुदान- गैर वेतन।	2158.00	42.29

मुख्य शीर्ष 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-01-फसल कृषि-कर्म, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-01, उपशीर्ष-0103-बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड-01-2415017890103, विषय शीर्ष-0103.31.06 सहायक अनुदान- गैर वेतन।	416.00	8.15
मुख्य शीर्ष 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-01-फसल कृषि-कर्म, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या-01, उपशीर्ष- 0104-बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड-01-2415017960104, विषय शीर्ष-0104.31.06, सहायक अनुदान- गैर वेतन।	26.00	0.51
<b>कुल</b>	<b>2600.00</b>	<b>50.95</b>

5. स्वीकृत राशि 50.95 लाख (पचास लाख पंचानवे हजार) रूपये की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करेंगे एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को उपलब्ध करायेंगे। विमुक्त राशि के विरुद्ध यदि कोई ब्याज आहरित होता है तो इसका उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा जो राज्य सरकार से स्वीकृत हैं।

6. अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी०-42 पर की जायेगी जिसके साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय से पूर्व प्राप्त रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक-2561 दिनांक 17.4.98 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत राशि की मदवार व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र, महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा एवं इसकी प्रतिलिपि कृषि विभाग को भी उपलब्ध करायेगा।

9. महालेखाकार, बिहार, पटना को उक्त स्वीकृत राशि के व्यय का अंकेक्षण का अधिकार रहेगा। विश्वविद्यालय व्यय से संबंधित लेखा पंजी का संधारण करेगा तथा विहित अंकेक्षण दल को यथा समय उनके निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायेगा।

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में प्रधान सचिव की स्वीकृति दिनांक 13.09.2018 को संचिका संख्या-4/कृ०शि०को०-45/2018 के पृ०सं०-05/टि० पर प्राप्त है।

11. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 4/कृ०शि०को०-45/2018 के पृ०सं०-06/टि० पर दिनांक- 19.09.2018 को प्राप्त है।

12. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*R. Vinod*  
28-9-18

(रवीन्द्र नाथ राय)

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 4/कृ०शि०को०-45/2018- 3560 /कृ०, पटना, दिनांक 01/10/ 2018

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/उप महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Devidas*

28-9-18

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 4/कृ०शि०को०-45/2018- 3560 /कृ०, पटना, दिनांक 01/10/ 2018

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Devidas*

28-9-18

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 4/कृ०शि०को०-45/2018- 3560 /कृ०, पटना, दिनांक 01/10/ 2018

प्रतिलिपि : कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/निदेशक अनुसंधान, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Devidas*

28-9-18

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4/कृ०शि०को०-45/2018- 3560 /कृ०, पटना, दिनांक 01/10/ 2018

प्रतिलिपि:- मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/निदेशक, पी०पी०एम० (कृषि विभाग), बिहार, पटना/बजट प्रभारी, कृषि विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

*Devidas*

28-9-18

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

*ke*

Annexure -1		
Summary of Project Proposal, Headwise estimated amount		
Development of Katarni Rice		
S.No.	Items	Amount Required (In Rs.)
1	Subsidy on Basic seed for minikit	65000
2	Regeneration of Basic seed	300000
3	Training for quality seed production, processing and marketing	100000
4	TA/DA for Exposure visit to Basmati growers, millers, traders in outside state	500000
5	Vediography of success story	30000
6	Award for best Katarni grower at district & region level	50000
7	Advertisement through hoarding, electronic and print media in Bhagalpur and State HQ	100000
	<b>Total</b>	<b>1145000</b>
Establishment of DNA Finger Printing Laboratory		
Non Recurring		
S.No.	Items	Total (In Rs.)
1	Thermal cycler (Gradient)	600000
2	Freezer (-20 degrees)	100000
3	gel Documentation System	400000
4	Refrigerator	50000
5	Horizontal Electrophoresis with power pack	300000
6	Mini centrifuge	100000
7	Autoclave	300000
8	Refrigerated centrifuge with changeble rotors	700000
9	Multichannel and single channel Pipette sets	150000
10	Computer & other accessories with software	150000
11	Electrical Gadgets	500000
12	Lab fittings including water supply	300000
	<b>Total</b>	<b>3650000</b>
Recurring for First year (2018-19)		
S.No.	Items	Total (In Rs.)
1	Chemicals	100000
2	Plastic	60000
3	Manpower	90000
4	TA/DA/Training	50000
	<b>Total</b>	<b>300000</b>
	<b>Total (Non recurring + Recurring)</b>	<b>3950000</b>

9